**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2094**

**सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम**

**2094. श्री एस. थंगावेलु:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक दशक के दौरान देश में एक मिलियन से भी अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं;

(ख) क्या सड़क दुर्घटनाओं की वजह से प्रति घण्टे कम-से-कम 15 लोग मर रहे हैं;

(ग) क्या देश में प्रत्येक दिन 14 वर्ष से कम आयु के 20 से भी अधिक बच्चे सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम किए जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क) से (ग):** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा प्रकाशित ‘‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2012’’ के अनुसार, पिछले 10 वर्ष अर्थात् 2003 से 2012 तक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 11,54,553 लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं । सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 2012 में 1,38,258 मौतें दर्ज की गई । इसका अर्थ प्रति घंटे 15.8 सड़क दुर्घटना मौतें होती हैं । आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2012 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 0-14 वर्ष आयु समूह में 5,879 बच्‍चे थे । इसका अर्थ प्रतिदिन 14 वर्ष की आयु के नीचे बच्‍चों की 16.1 सड़क दुर्घटना मौतें होती हैं ।

**(घ):** सरकार द्वारा देश में सड़क दुर्घटनाओं को न्‍यून करने के लिए निम्‍नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(i) सरकार ने राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है । इस नीति में विभिन्‍न नीतिगत उपाय तैयार किए गए हैं जैसे कि जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्‍थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्‍साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि ।

(ii) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है । मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से राज्‍य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने का अनुरोध किया है ।

(iii) मंत्रालय ने (i) शिक्षा (ii) प्रवर्तन (iii) इंजीनियरी (सड़क और वाहन) और (iv) आपात निदान नामक चार सुरक्षा उपायों पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है और कार्रवाई के दिशा कोण के लिए पांच कार्यकारी समूह गठित किए । कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसे राज्‍य सरकारों द्वारा कार्यान्‍वयन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है ।

(iv) सड़क सुरक्षा को योजना स्‍तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्‍न भाग के रूप में बनाया गया है ।

(v) राष्‍ट्रीय राजमार्ग/एक्‍सप्रेसेवे के चुनिन्‍दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा ।

(vi) सभी राज्‍यों में मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्‍थान (आईडीटीआर) स्‍थापित करना ।

(vii) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्‍त बनाना जैसे कि हेलमेट, सीट बेल्‍ट, पावर-स्‍टियरिंग, रियर व्‍यू मिरर ।

(viii) प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया के माध्‍यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार ।

\*\*\*\*